FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

उगराराम वगैरा बनाम हनुमानराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० भाट 88,188 नं. 31 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रुघाराम मायल ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/3/2020 को पेश हो। 18.3.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/03/2020	पत्रावली आज पेश हुई कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा ... से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/20 को पेश हो।	
24/06/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री धमण्डाराम सारण द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। तथा वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1, PW-2 व स्वतंत्र गवाह PW-3 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं ... पत्रावली दिनांक 30/06/2020 को पेश ... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	हनुमानराम रूपाराम उगराराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:30:06 IST
Reason: SelfAttested

30/06/2020

पुकार फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:30:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 31 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. उगराराम पुत्र हडुमानराम 2. खेताराम पुत्र हडुमानराम 3. राऊराम पुत्र हडुमानराम 4. भगाराम पुत्र हडुमानराम 5. चैनाराम पुत्र रूपाराम 6. राणाराम पुत्र रूपाराम 7. भोपाराम पुत्र रूपाराम 8. खेराजराम पुत्र रूपाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–मोराला, पटवार हल्का कोलू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. हडुमानराम पुत्र मालाराम 2. रूपाराम पुत्र मालाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–मोराला, पटवार हल्का कोलू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री घमंडाराम सारण वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांक : 29.6.2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा मोराला पटवार मण्डल कोलू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 575, 582 रकबा क्रमशः 11.6496, 6.4316 हैक्टेयर व मौजा लीलासर पटवार मण्डल कोलू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 686 रकबा 12.2806 हैक्टेयर आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज मालाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:30:06 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण मालाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मोराला पटवार मण्डल कोलू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 575, 582 रकबा क्रमशः 11.6496, 6.4316 हैक्टेयर व मौजा लीलासर पटवार मण्डल कोलू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 686 रकबा 12.2806 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 01 से 04 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ व वादी संख्या 05 से 08 को प्रतिवादी संख्या 02 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 29.6.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:30:06 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण:
1. उगराराम पुत्र हडुमानराम
2. खेताराम पुत्र हडुमानराम
3. राऊराम पुत्र हडुमानराम
4. भगाराम पुत्र हडुमानराम
5. चैनाराम पुत्र रूपाराम
6. राणाराम पुत्र रूपाराम
7. भोपाराम पुत्र रूपाराम
8. खेराजराम पुत्र रूपाराम

जातियान्–जाट,
निवासीयान्–मोराला, पटवार हल्का
कोलू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण:
1. हडुमानराम पुत्र मालाराम
2. रूपाराम पुत्र मालाराम

जातियान्–जाट,
निवासीयान्–मोराला, पटवार हल्का
कोलू, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–31 / 2020. **निर्णय दिनांक** :– 29.6.2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मोराला पटवार मण्डल कोलू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 575, 582 रकबा क्रमशः 11.6496, 6.4316 हैक्टेयर व मौजा लीलासर पटवार मण्डल कोलू तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 686 रकबा 12.2806 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 01 से 04 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ व वादी संख्या 05 से 08 को प्रतिवादी संख्या 02 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.6.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(न्यायालय मुद्रा: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु)

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:30:06 IST
Reason: SelfAttested